संख्या– 2471-16 / सत्तर–3–2015–स्था0(01) / 2016 टी.सी.

प्रेषक,

बी0 बी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

उ0प्र0 रा... परिषद, लखनऊ
संख्या 320 ...उ0शि0प0/20
दिनांक 2-05-2016

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 26 अप्रैल, 2016

विषयः– प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों के स्थानान्तरण की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–सं0नि0(उ0शि0) / एकल स्था0 / 844 / 2015–16, दिनांक 25–01–2016 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव / संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त विशेष परिस्थितियों में अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के निम्नलिखित **एसो0 प्रोफेसर** को उनके नाम के सम्मुख **कालम–04 में** अंकित महाविद्यालय में एकल स्थानान्तरण की अनुमति प्रदान की जाती हैः–

क्र.	अध्यापक का नाम / पदनाम तथा कार्यरत महाविद्यालय का नाम	विषय	महाविद्यालय का नाम जहाँ के लिये स्थानान्तरण किया गया है।
1	2	3	4
1	डा0 गार्गी–एसो0 प्रोफेसर– तिलकधारी महाविद्यालय, जौनपुर।	प्राणि विज्ञान	एम0एम0एच0 कालेज, गाजियाबाद।

2– उपरोक्त एकल स्थानान्तरण की अनुमति दोनों महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र से प्राप्त सहमति के आधार पर प्रदान की गयी है। महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनां का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र का होगा। कोई भी सूचना असत्य पाये जाने की दशा में अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा। निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा उक्त स्थानान्तरण को उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के संज्ञान में लाते हुए स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त पद को अधिसूचित पदों में सम्मिलित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

भवदीय,

/

(बी0 बी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्याः– 2471-16 (1) / सत्तर–3–2016– तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) कुलसचिव, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
(2) कुलसचिव, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
(3) जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर / मेरठ।
(4) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ / जौनपुर।
(5) सचिव, उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, 18–ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
(6) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
(7) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) सम्बन्धित एसो0 प्रोफेसर– द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(9) विभागीय आदेश पुस्तिका हेतु।

आज्ञा से,

(कुँवर मकरन्द सिंह)
अनु सचिव।

कमलेश / सेक्शन
02/05/16

GO COURT CASE C2